



कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली (उ०प्र०)
Website : www.bdainfo.org, email : bdabareilly@yahoo.com, blyda@up.nic.in

पत्रांक :- /का०ब०वि०प्रा०/सं० अनु०-2024-25

दिनांक -

आवंटन पत्र

सेवा में,

कु०/श्रीमती/श्री-

पत्नी/पिता श्री-

पता-

मो०-(पिन-.....)

विषय :-रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-..... में व्यवसायिक संख्या-....., श्रेणी-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-..... में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड/भवन संख्या-....., श्रेणी-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमीटर की निविदा-सह-नीलामी दिनांकको सम्पन्न हुई। इस निविदा-सह-नीलामी में आपकी बोली उच्चतम प्राप्त हुई है जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप द्वारा दी गयी उच्चतम दर रु०-.....प्रति वर्गमीटर के अनुसार उक्त भूखण्ड/भवन का अनुमानित विक्रय मूल्य रु०-..... होता है।

अतएव उक्त सम्पत्ति की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार बरेली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://bdapms.in> पर जाकर ऑनलाइन अथवा ई-चालान के माध्यम से जमा करनी होगी :-

भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

| | | |
|--|------------|-----------------|
| (1) अनुमानित मूल्य | रु०- | |
| (2) जमा धरोहर धनराशि | रु०- | |
| (3) फ्री-होल्ड धनराशि 12 प्रतिशत | रु०- | दिनांक.....तक |
| (4) आवंटन धनराशि (जमा धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त) | रु०- | दिनांक तक |
| (5) अवशेष धनराशि | रु०- | |
| (6) त्रैमासिक किश्त | रु०- | |

- आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त उपरोक्त नियत तिथि तक आवंटन धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 डाउन पेमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत रु०-50.00 लाख तक के मूल्य की सम्पत्तियों हेतु आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह की अवधि दिनांकतक तथा रु०-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों हेतु आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 03 माह की अवधि दिनांकतक 100 प्रतिशत भुगतान करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 3 समान त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह-..... में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 13% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- विलम्ब अवधि के ब्याज की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू0-10.56/- प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- सम्पत्ति का मूल्य रुपये 50.00 लाख से अधिक होने पर आवंटी द्वारा भूखण्ड/भवन के मूल्य से 1 प्रतिशत की टी0डी0एस0 की कटौती कर अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तथा 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आयकर विभाग में आवंटी द्वारा जमा कर चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा। (पैन नं0-AAALB0169K)।
- 15-मूल आवंटन पत्र की प्रति को ही अनापत्ति प्रमाण माना जायेगा।
- 16-अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :-

- आपको एतद्वारा अन्तिम रूप से यह सूचित किया जाता है कि आप कृपया उक्त बकाया धनराशि को आवंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार विकास प्राधिकरण की **Portal:https://bdapms.in** पर **“How To Pay” option** पर जाकर **debit/credit card, net banking** अथवा ई-चालान के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

